

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी इटवा के कुशल पर्यवेक्षण में थाना मिश्रौलिया, जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री करने वाले अपराधियों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही -

थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर पर अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री करने वाले अपराधियों के विरुद्ध प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार त्रिपाठी, थाना मिश्रौलिया द्वारा मु0अ0सं0 155/20 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम (गैंगेस्टर एक्ट) पंजीकृत कर संबंधित अभियुक्त शंभू पुत्र मलहू, इनल पुत्र गोमती , गणेश प्रसाद पुत्र भागीरथी निवासी गण ओदनाताल थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है थाना क्षेत्र के अन्य अवैध शराब के कारोबारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 1- प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार त्रिपाठी थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 2- उ0नि0 श्री रामकुमार यादव थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थ नगर ।
- 3- उ0नि0 श्री सर्वेश यादव थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 4- आरक्षी शिवाकांत यादव थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर ।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन तथा श्री प्रदीप कुमार यादव क्षेत्राधिकारी, सदर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस टीम द्वारा कृत कार्यवाही -

थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 271/2020 धारा- 354(क)भा.द.वि. व 7/8 पाक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त सुजीत कुमार शर्मा पुत्र राजाराम निवासी टोला पण्डितपुर भिटपरा, थाना कोतवाली लोटन, जनपद सिद्धार्थनगर के बारे में आज दिनांक 17.09.2020 को जरिए मुखबीर खास सूचना मिली कि अभियुक्त उपरोक्त उसका रोड पोखरभिटवां मोड़ पर खड़ा हैं। कहीं जाने के फिराक में वाहन का इन्तजार कर रहा है। यदि जल्दी किया जाये तो गिरफ्तार किया जा सकता हैं। उक्त सूचना पर थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर पुलिस टीम मय मुखबीर के तत्समय मौके पर पहुँचकर मुखबीर द्वारा दूर से ईशारे से बताये गये खड़े व्यक्ति का नाम, पता, तस्दीक करने के उपरान्त नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के संबंध में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम, पता-

सुजीत कुमार शर्मा पुत्र राजाराम निवासी टोला पण्डितपुर भिटपरा, थाना कोतवाली लोटन, जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

- 1- प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 2-उ0नि0 श्री राकेश त्रिपाठी थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 3- आरक्षी फैज खान थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 4- आरक्षी योगेन्द्र यादव थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 5-आरक्षी सुमित सिंह थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर ।

03

प्रेस नोट दिनांक 17-09-2020

शान्ति व्यवस्था प्रभावित करने वाले 05 अभियुक्त गिरफ्तार

श्री रामअभिलाष त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन तथा श्री प्रदीप कुमार यादव क्षेत्राधिकारी, श्री राणा प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल पर्यवेक्षण में थाना चिल्हिया, जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस टीम द्वारा कृत कार्यवाही -

आज दिनांक 17.09.2020 को थाना चिल्हिया पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय क्षेत्र में शान्ति-व्यवस्था कायम रखने व संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने के दृष्टिगत 05 अभियुक्तगण को अन्तर्गत धारा 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय/जेल भेजा गया।

04

प्रेस नोट दिनांक 17-09-2020

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्माटा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:-17-09-2020 को जनपदीय पुलिस बल द्वारा धारा 188 भादवि के अंतर्गत 01 अभियोग पंजीकृत करके 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 229 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 94 वाहनों का चालान कर ₹ 99300/-शमन शुल्क वसूल किया गया।

05

प्रेस नोट दिनांक 17-09-2020

थाना शोहरतगढ़ ने 03 अभियुक्तों को धारा 151सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के आदेश के अनुपालन में "अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान" के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल पर्यवेक्षण में श्री राम अशीष यादव, प्रभारी निरीक्षक थाना शोहरतगढ़ व सुर्य प्रकाश सिंह प्रभारी पुलिस चौकी कोटिया के नेतृत्व में आज दिनांक 17/09/2020 को आपसी विवाद को लेकर कहासुनी व गुत्थम गुत्था करने वाले व्यक्तियों को संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने एवं शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए धारा 151/107/116 सीआरपीसी के अंतर्गत 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा थाना बांसी पर में थाना बांसी, खेसरहा व जोगिया उदयपुर का अर्दली कक्ष/समीक्षा गोष्ठी कर प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को आवश्यक दिशा- निर्देश दिये गये

श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा आज दिनांक 17-09-2020 को थाना बांसी में बांसी सर्किल का अर्दली कक्ष/समीक्षा गोष्ठी कर जनपद की कानून-व्यवस्था की समीक्षा की गयी तथा प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निम्न आवश्यक दिशा- निर्देश दिये गये ।

महोदय द्वारा निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये ।

1. 06 माह से अधिक अवधि से लंबित अभियोगों का विवरण ।
2. आईटी अधिनियम के लंबित अभियोगों का विवरण ।
3. महिला अपराध (धारा 354,363,366,376 भादवि0 का विवरण)
4. धोखाधड़ी(419,420 भादवि0) के लिए लंबित अभियोगों का विवरण ।
5. IGRS पोर्टल पर लंबित मामलों का विवरण ।
6. माननीय न्यायालय में दाखिल किये जाने हेतु शेष आरोप-पत्र / अंतिम रिपोर्ट का विवरण ।
7. उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (द्वितीय संशोधन) विनियमावली -2020 के स्तम्भ-2 की धारा 3,4,5 के उल्लंघन से संबंधित कार्यवाही का विवरण ।
8. माह में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही हेतु दिशा-निर्देश दिये गये ।
9. सार्वजनिक स्थानों पर अवैध शराब/मदिरा-पान करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया ।
10. वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया ।
11. गिरफ्तारी हेतु शेष चल रहे वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया ।
12. टाप-10 अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया ।
13. चिन्हित गैंग के पंजीकरण एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही के बारे में जानकारी की गयी ।
14. भूमि-विवाद प्रकरण/थाना स्तर पर शिकायती प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया ।

तत्पश्चात महोदय द्वारा विवेचनाओं के निस्तारण, पुराने मालों के निस्तारण, जनशिकायत द्वारा प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में कड़े निर्देश दिये गये । शहर व ग्रामीण इलाकों में पैदल गश्त, साइबर अपराध के रोकथाम सम्बन्धी प्रचार-प्रसार, साक्ष्य के आधार पर विवेचनाओं का निस्तारण एवं अभियुक्तों के प्रति वैधानिक कार्यवाही, निरोधात्मक कार्यवाही में गुण्डा अधिनियम, गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत अभियान चलाकर कार्यवाही किये जाने आदि बिन्दुओं पर महोदय द्वारा निर्देश दिया गया ।

उक्त गोष्ठी में श्री राजेश कुमार तिवारी, क्षेत्राधिकारी बांसी एवं थाना बांसी, खेसरहा व जोगिया उदयपुर के प्रभारी निरीक्षक /थानाध्यक्षगण, व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे ।